भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि १५ अक्टूबर, १९६९ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

लुप्त-सूचित प्रश्न सं० ३९ का उत्तर तैयार नहीं रहने के कारण सदन में वाद-विवाद।

*श्री वीरचन्द पटेल—यह प्रश्न राजनीति विभाग में भेज दिया गया है।

*श्री कौशलेन्द्र नारायण सिंह—मेरा प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। अभी माननीय राजस्व मंत्री ने बतलाया है कि यह प्रश्न राजनीति विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है लेकिन इस प्रश्न के नीचे टिप्पणी में राजनीति (पुलिस) विभाग से स्थानान्तरित लिखा हुआ है अतः यह प्रश्न राजनीति (पुलिस) विभाग से स्थानान्तरित होकर आ चुका है।

श्री वीरचन्द पटेल—इस प्रश्न का सम्बन्ध राजनीति विभाग से है। इसमें कम्पेन्सेशन के सवाल के अतिरिक्त एक आदमी के अपराध से भी सम्बन्ध रखता है इसलिए इसको राजनीति विभाग में भेज दिया गया है।

श्री रमेश झा—उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले राजस्व विभाग में गया। उसके बाद पुलिस विभाग में ट्रांसफर हुआ, फिर राजस्व विभाग में भेजा गया और उसके बाद फिर राजस्व विभाग से राजनीति विभाग में भेजा गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेवारी किसपर है? यह प्रश्न बराबर सफर कर रहा है। यह सिलसिला ठीक नहीं है।

श्री वीरचन्द पटेल—बात ठीक है कि यह प्रश्न राजस्व विभाग में आया। उसके बाद पुलिस विभाग में ट्रांसफर हो गया और पुलिस विभाग ने फिर राजस्व विभाग को वापस कर दिया। अब यह समझा गया कि इसका संबंध राजनीति विभाग से है

दस्तावेज प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र।

१२७८। श्री गुठली सिंह—क्या राजस्व (निबंधन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि दुलहिन देवराज कुंवर, जौजे राम बचन तिवारी, साकिन थाना डुमरांव, हाल मोकाम नोखा, थाना नोखा, परगना वो सब-रजिस्ट्री औफिस सासाराम, जिला शाहाबाद ने दिनांक १० मई १९६३ को एक केवाला बैनामा दुलहिन केशर देवी, जौजे सखीचन्द राम वो दुलहिन रमा देवी, जौजे राम एकबाल राम, साकिन-थाना नोखा, परगना सासाराम, जिला शाहाबाद सब-रजिस्ट्री औफिस सासाराम के नाम से सब-रजिस्ट्री सासाराम में किया है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कथित दुलहिन केशर देवी वो दुलहिन रमा देवी ने उपरोक्त कथित बेदार दुलहिन देवराज कुंवर से दिनांक १० मई १९६३ को रसीद बेची करा लिया है और सासाराम सब-रजिस्ट्री औफिस से दिनांक १० मई १९६३ को उपरोक्त कथित बैनामा का कागज निकालने के लिए तारीख मुकर्रर किया गया था ;

(३) क्या यह बात सही है कि खरीददार की तरफ से श्री सखीचन्द राम ने इसके बनिस्बत निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना तथा जिला अवर-निबन्धक, शाहाबाद, आरा और ए स०डी०ओ०, सासाराम के पास आवेदन-पत्र देकर यह मांग की है कि खरीददार को केवाला बैनामा (दस्तावेज) सासाराम सब-रजिस्ट्री औफिस से दिलवा दिया जाय और निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्र सं० ए।ई-१-२०६५।६३—३८१८, दिनांक २१ अगस्त १९६३ और जिला अवर-निबंधक, शाहाबाद, आरा के पत्रांक २०१८, दिनांक २० अगस्त १९६३ के पत्र के द्वारा खरीददार को सूचित किया गया है उसके आवेदन-पत्र पर उचित कार्रवाई की जा रही है ;

(४) क्या यह बात सही है कि सासाराम सब-रजिस्ट्री औफिस से केवाला बैनामा की मूल कौपी भुलवा दी गयी है जिसके चलते सब-रजिस्ट्रार वो कर्मचारीगण उपरोक्त कथित केवाला बैनामा की मूल कौपी देने में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं जिसके चलते आजतक खरीददार को बैनामा की मूल कौपी (दस्तावेज) नहीं मिल सकी है ;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त कथित केवाला बैनामा की मूल कौपी (दस्तावेज) खरीददार को दिलाने का विचार रखती है और क्या सरकार सब-रजिस्ट्रार, सासाराम और उनके कर्मचारीगण पर मूल कौपी (दस्तावेज) केवाला बैनामा को भुलवा देने के लिए उचित कारवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरचन्द पटेल—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) हां, दस्तावेज खो गई है।

(५) जहांतक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है खंड (४) के उत्तर के समक्ष दस्तावेज की मूल प्रति लौटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

जहांतक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।